13/9/2023 आज पत्रावली पेश। दूई वकील हाजिर उपस्थित हैं।
आज प्रकरण से संबंधित मूल वाद Not Press में वापिस
किया गया है। अतः इस प्रकरण में आगे सुनवाई किये जाने
का कोई औचित्य नहीं रहा गया है। प्रकरण Not Press में
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर सेक्शन हो।
वाद दस्तावेज संलग्न मूल वाद रहे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०